न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 06/2016

राज्य सरकार जरिये श्री के.एल.मीना, निरीक्षक (बीज, उर्वरक व कीटनाशी) एवं सहायक निदेशक कृषि(विस्तार) दौसा

....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स सिकराय कय विकय सहकारी समिति लि. सिकराय जरिये प्रतिनिधि श्री मोहर सिंह सैनी पुत्र श्री कल्याणसहाय सैनी निवासी मानपुर (गोला का बास) तहसील सिकराय जिला दौसा

..अप्रार्थी

उर्वरक विकय का अनुज्ञा पत्र लिये बिना उर्वरक विकय करने व अमानक उर्वरक विकय करने पर जब्त उर्वरक का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए की कार्यवाही हेतु प्रार्थना–पत्र

उपस्थितः–कोई नहीं।

निर्णय

दिनांकः 04.2.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि श्री के. एल.मीना, निरीक्षक, (बीज उर्वरक व कीटनाशी) एवं सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा द्वारा दिनांक 31.12.2015 को 133 किलोग्राम जिंक सल्फेट उर्वरक के जब्ती की कार्यवाही की गई।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। उभय पक्ष बहस सुनी गई।
3. विभागीय पैरोकार के उपस्थित नहीं होने से उनके प्रार्थन पत्र को ही बहस माना जाकर सुनवाई की गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार श्री कुन्दन लाल मीना, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के पद पर कार्यरत है तथा राजस्थान राजपत्र 22 अक्टूबर 2010 के द्वारा उर्वरक निरीक्षक के पद पर नियसुक्त है। दिनांक 31.12.2015 को उवर्गरक निरीक्षक द्वारा मैसर्स कय विकय सहकारी समिति सिकराय से जिंक सल्फेट उर्वरक बैच सं. बीएनएफसी–3015, एमएफडी–11/2015 का नमूना लिया गया था तथा स्टॉक में 1300 किलोग्राम विकय पर प्रतिबंध अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं कराने पर लगाया गया था। कार्यालय पत्र दिनांक 18.1.2016 के द्वारा उर्वरक अनुज्ञा पत्र का अवलोकन कराने हेतु कय विकय सहकारी समिति सिकराय को पुनः सूचित किया गया किन्तु दिनांक 29.1.2016 तक न तो अवलोकन हेतु अनुज्ञा पत्र उपलब्ध कराया और ना ही किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जो क उर्वरक नियंत्रा आदेश 7, 11 (5) का उल्लंघन है। सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा द्वारा लिया गया उर्वरक जिंक सल्फेट बैच नं0 बीएनएफसी–3015 को विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया। प्रयोगशाला के द्वारा दिनांक 21.1.2016 को उक्त उर्वरक को अमान्य घोषित किया गया। दिनांक 30.1.2016 को मौका निरीक्षण के दौरान अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश एफसीओ –7, 11 (5) एवं अमानक उर्वरक रखने, बिक्री करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 19(9) के तहत जिंक सल्फेट बैच नं0 बीएनएफसी–3015 का उर्वरक का स्टॉक तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में उर्वरक जब्ती की कार्यवाही की गई।
4. महाप्रबंधक, सिकराय कय विकय सहकारी समिति लि0 सिकराय से जवाब प्राप्त किया जिसके अनुसार सिकराय कय विकय समिति लि0 सिकराय सहकारिता विभाग की सरकारी संस्था है जिसके द्वारा कृषकोंको आसान तरीके से एवं उचित दर पर खरीफ एवं रबी सीजन में समस्त प्रकार का कृषि आदान उपलब्ध करवाया जाना ही समिति का सर्वोपरि

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

लक्ष्य है जिसे समिति द्वारा सुचारू रूप से कियान्वयन किया जा रहा है। कृषि संबंधित आदान कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म एवं उनके द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को मुहैया कराई जाती है। समस्त आदान वितरण में पूर्णतः कृषक हित देखा जाता है। समिति से दिनांक 31.12.2015 को श्री कुंदन लाल मीना सहायक निदेशक, कृषि विस्तार दौसा द्वारा जिंक सल्फेट 21 प्रतिशत निर्माता कंपनी बी.एप.के.एन. फर्टीकेम एवं रॉयल केमिकल एंड फर्टीलाईजर्स का नमूना लिया गया था एवं बिक्री लाईसेन्स में पी.सी.एड नहीं होने के कारण गिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इस संबंध में समिति द्वारा बिकसी भी प्रकार की कोई अनियमितता एवं लापरवाही नहीं की गई है। उक्त लिये गये नमूनों में से बी.एन.के.एन. कंपनी की जिंक सल्फेट का नमूना अमानक पाया गया एवं मौके पर स्टॉक में 130 बैग/10 किलोग्राम की बिक्री पर रोक लगाकर हमें सुपुर्द कर दी गई जो समिति के गोदाम में यथावत रखा गया है। निर्माता कंपनी एवं हमारी संस्था द्वारा निरीक्षक के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए उक्त अमानक नमूने को पुनः परीक्षण हेतु आयुक्त, कृषि विभाग को पत्र दिनांक 4.2.2016 के द्वारा निवेदन किया हआ है। उनके द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर ही उक्त नमूने को पुनः परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भिजवा दिया जायेगा।संस्था द्वारा अनुमोदित कंपनियों का पैकिंग आदान खरीद कर पैकिंग आदान ही कृषकों को वितरित किया जाता है। सभी कृषक आदानों को कृषकों को सर्व सुलभ कराने के प्रतिफल के तौर पर समिति को केवल मात्र हैंडलिंग चार्ज (रख रखाव चार्ज) ही प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कर्मचारी को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है तथा न ही संस्था द्वारा किसी प्रकार की मिलावट करना संभव है। समिति के पास समस्त प्रकार के कृषि आदान बिक्री हेतु वैध लाईसेंस मय पी.सी. जुडवाकर उपलब्ध है।

5. हमने उभय पक्ष के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि होता है सहायक निदेशक, कृषि विस्तार दौसा के द्वारा दिनांक 31.12.2015 को क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. सिकराय का निरीक्षण किया जाकर जिंक सल्फेट उर्वरक का नमूना लिया गया तथा स्टॉक में 1300 किलोग्राम के विक्रय पर अनुज्ञा पत्र नहीं होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया। उर्वरक जिंक सल्फेट को विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया गया जिस पर प्रयोगशाला द्वारा तत्व **Zn 21%** के स्थान पर **0.00%** होने के कारण अमानक घोषित किया गया। दिनांक 31.1.2016 को भी निरीक्षण के दौरान अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। अमानक उर्वरक रखने व बिक्री करने पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा ने समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिस पर समिति ने दिनांक 8.2.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिस जो संतोषजनक नहीं माना गया। हमने ऐसी स्थिति में जब्तशुदा उर्वरक को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा उर्वरक के 130 बैग/10 किलोग्राम पैकेट राजसात किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा को आदेशित किया जाता है कि जब्तशुदा उर्वरक के 130 बैग/10 किलोग्राम पैकेट का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर पालना से एक माह में इस न्यायालय को अवगत करावे। अधीनस्थ क्रय विक्रय सहकारी समिति सिकराय का मूल अभिलेख नियमानुसार लौटाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested